



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245731
CG-DL-E-05052023-245731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2005]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 2005]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2093(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के बनावसकांठा जिले में NH 754K के कि.मी. 0 से कि.मी.130 (प्रान्त कार्यालय, सुईगाम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) नोटीफिकेशन क्रमांक का. आ. ८५४ (अ) तारीख २२.०२.२०२३ के अधीन तारीख "२८.०२.२०२३" को "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "दिव्या भासकर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH 754K के कि.मी. 0 से कि.मी.130 (प्रान्त कार्यालय, सुईगाम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: बनासकांठा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सुईगाम				
	गांव का नाम: जोरावरगढ़				
1	507	निजी	एग्रीकल्चर	3.1663	पटेल खेमाभाई राजाभाई (507/पी1)
	गांव का नाम: सोनेथ				
2	1098	निजी	एग्रीकल्चर	0.1097	जड़ेजा भूपेन्द्रसिंह दिलीपसिंह (1098)
	गांव का नाम: उद्धोसन				
3	105	निजी	एग्रीकल्चर	1.7918	पटेल भावाभाई देवसीभाई (105पी1)
			कुल	5.0678	

[फा. सं. NHAI/PIU-GAN/BM/AJEC-GUJ/2018/LA/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2093(E).—In-Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 754K on the stretch of land from Km 0 to Km 130 (Prant Office, Suigam) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification S.O. No.854 dated 22.02.2022 has been published in “*Times of India*” and “*Divya Bhasakar*” both dated 28.02.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of land from NH 754K (Prant Office, Suigam) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: Banaskantha			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Suigam				
	Village: Jorawargadh				
1	507	Private	agriculture	3.1663	Patel Khemabhai Rajabhai 507/P1
	Village: Soneth				
2	1098	Private	agriculture	0.1097	Jadeja Bhupendrasinh Dilipsinh 1098
	Village: Uchosan				
3	105	Private	agriculture	1.7918	Patel Bhavabhai Devsibhai 105P1
			TOTAL	5.0678	

[F. No. NHAI/PIU-GAN/BM/AJEC-GUJ/2018/LA/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.